

FORM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत Court of The Divisional Commissioner Bharatpur (Raj.)----

.....पूरन.....बनाम.....रेवती.....

किस्म मुकदमा.....अपील .75 एल.आर.एक्ट.....नम्बर.....122 / 2011.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
6.9.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित। वकील अपीलान्त द्वारा पत्रावली की आदेशिका पर उनके पक्षकारान की ओर से अपील आगे चलाये जाने अथवा अपील में कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में कोई हिदायत नहीं दिया जाना जाहिर किया और इस बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। अपीलान्तस का नियत दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होना एवं किसी भी अपीलान्त की ओर से अपने वकील को विचाराधीन अपील में विधिवत पैरवी किये जाने हेतु कोई हिदायत नहीं देना उनकी इस अपील को आगे नहीं चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं अपीलान्तस अथवा उनके वकील की ओर से अपील में विधिवत पैरवी किये जाने की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं हो रही है तो इस अपील को आगे चलाये जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। इस बाबत स्वयं वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर भी अंकित किये हैं। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।</p>	


 9. 2022
 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर